न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 510 / 2016

दर्ज दिनांकः 30 / 06 / 2016

निर्णय दिनांक : 07 / 11 / 2017

रामेश्वर पुत्र नारायण, जाति गुर्जर, निवासीः सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---वादी

बनाम

1. गुल्लाराम पुत्र नारायण, जाति गुर्जर, निवासीः सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. उपतहसीलदार माधोराहपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

-- प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री सीताराम सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

प्रतिवादी 2 व 3 की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

निर्णय दिनांकः 07 / 11 / 2017

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 525, 526, 527, 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541 कुल किता 13 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का 1 / 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 12 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं हाल खसरा नंबर 539 / 3, 540 / 3, 533 / 2,

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

536, 535/1, 532/2 कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सेहदरिया तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। विवादग्रस्त आराजीयात का वादी संपूर्ण भूमि में से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है, आराजीयात में वादी के पिता नारायण की विरासत से प्रापत हिस्सा मिला एवं अपने सगे भाई बिरदी चन्द, कल्याण पिता नारायण का हिस्सा जरिये हकत्याग पत्र दिनांक 31.05.2008 को अपने पख में प्राप्त किया इस प्रकार वादी ने संपूर्ण भूमि में से अपने 1/4 हिस्से पर काबिज है जिसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य सहखतेदारो द्वारा सहमति से तकासमा तहसीलदार महोदय के प्रस्तुत कर पेश किया गया जिसमें पटवारी हल्का एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपस में सांठ गांठ कर वादी को अपने हिस्से से महरूम करने के आशय से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को बिना विधिवत प्रक्रिया के हटाकर वादी के 1/4 हिस्से को हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 के 1/12 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्सा पटवारी रिपोर्ट में कर दिया एवं उक्त भूमि का तकासमा में खसरा नंबर 539/3, 540/3, 533/2, 536, 535/1, 532/2 कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज नहीं करके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर--बराबर हिस्सेदार गलत कर दिया जबकि और अन्य तकासमा के क्रम संख्या 4 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज किया गया है। तकासमा विधिवत रूप से आपस में पक्षकारान की सहमति द्वारा पूर्व में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हिस्से अनुसार करवाया गया था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा षडयंत्र पूर्वक गलत इन्द्राज कर नामान्तकरण संख्या 945 दिनांक 19.02.2013 को स्वीकृत किया है जो विधि विरूद्व होने से शून्य है इसलिये वादी उक्त आराजी में अपने 1/4 हिस्से की घोषणा करवाकर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। वादी ने आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है आराजीयात का वादी 1/4 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन राजकीय कर्मचारियो से सांठ गांठ कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत हिस्सा दर्ज करवा लिया जबकि वादी अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है वादी को उक्त गलत दर्ज हिस्से की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड की नकले बनवाने पर एवं पटवारी से जांच करवाने पर हुई उक्त रिकॉर्ड की नकले निकलवाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिसका

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

राजस्व रिकॉर्ड में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा दर्ज किया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज किया जाना कानूनन आवश्य है। अभी हाल ही में दिनांक 08.06.2016 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका हिस्सा रिकॉर्ड में गलत दर्ज है जबकि सही हिस्सा 1/4 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषण व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र में वादी संपूर्ण आराजी का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है एवं वादी का राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की जाकर पालना बाबत तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की आराजीयात में किसी प्रकार से उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करे, न ही अन्य किसी हाली सीरी, एजेन्ट सर्वेन्ट से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 27.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 14.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व बावजूद प्रॉपर तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 10.07. 2017 को वकील वादी ने वादी रामेश्वर पुत्र नारायण, कल्याण पुत्र नारायण एवं श्योजी पुत्र छगना के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 67 के अनुसार वादी हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1, 1/12 का हिस्सेदार है किन्तु नामान्तकरण संख्या 945 दिनांक 7.5.13 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बराबर–बराबर के खातेदार है। वादी व प्रतिवादी व अन्य सहखातेदारो के साथ शामलाती भूमि का खाता था जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी का 1/12 हिस्सा था जिसके अनुसार कुल खाते में 3.16 बीघा भूमि दोनो के हिस्से में आती है जो सही है किन्तु खाते में दर्ज हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

के अनुसार वादी का 57/76 व प्रतिवादी संख्या 1 का 19/76 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जो वर्तमान में बराबर–बराबर है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट, शपथ पत्र वादी रामेश्वर पुत्र नारायण, कल्याण पुत्र नारायण एवं श्योजी पुत्र छगना इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/12 हिस्सा दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि से वादी व प्रतिवादी 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है। साबिक खसरा नंबरान की जमाबंदी के अवलोकन से साबित पाया जाता है कि आराजीयात में वादी 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। न्यायहित वादी वाद स्वीकार कर दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

अतः वादी वाद तहसीलदार फागी की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 539/3, 540/3, 533/2, 536, 535/1, 532/2 कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा अर्थात संपूर्ण खाते में वादी का 57/76 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 19/76 हिस्सा दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

रामेश्वर पुत्र नारायण

बनाम

गुल्लाराम व अन्य

:– वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा :–

मुकदमा नं0 – 510/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद तहसीलदार फागी की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 539/3, 540/3, 533/2, 536, 535/1, 532/2 कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा अर्थात संपूर्ण खाते में वादी का 57/76 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 19/76 हिस्सा दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज...—...मुबलिग...—...बाबत...—...
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...—...फीसदी...—...सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...—...का अदा करे।

आज बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/11/2017 को जारी की गई।

दस्तखत... उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुहर उपखण्ड अधिकारी फागी जयपुर

ओहदा...

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर	NIL		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)